ग्राम पंचायत भदसाली हार, विकास खण्ड हरोली , जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भदसाली हार, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान सचिव रहे।

प्रधानः-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री यशपाल	1-04-2015 से 22-01-2016
2	श्रीमती पुष्पा रानी	23-01-2016 से 31.03.18

सचिवः-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम कुमारी	1-04-2015 से 27-02-2017
2	श्रीमती मधु किरण	28-02-17 से 30-03-2017
3	श्री राजिंदर सिंह	31-03-17 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत भदसाली के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है l

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.55
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	18.90
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	5.45
4	8	उचित बिलों के बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.03

5	9	क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	14.24
6	11	पत्थरों की खरीद में अधिक एवं गलत भुगतान	1.72

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भदसाली हार, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 23-08-2018 से 27-08-2018 तक ग्राम पंचायत भदसाली में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया है l

आय:- 1/16, 6/16 व 7/17

व्यय:- 5/15, 2/17 व 8/17

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगा l

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भदसाली हार, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या–222 दिनांक 23-08-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भदसाली से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत भदसाली द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन० बी० पंडोगाके बैंक ड्राफ्ट संख्या 757925 दिनांक 27-08-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया हैl

4 (क) वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है I

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	742084	5109540	22640	5874264	5373565	500699

2016-17	500699	3793145	41372	4335216	2999212	1336004
2017-18	1336004	3171740	67815	4575559	2493235	2082324

(i) स्वयं स्त्रोत

ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा **परिशिष्ट – क-1** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	129160	22768	18861	170789	50235	120554
2016-17	120554	23328	38801	182683	67187	115496
2017-18	115496	10872	65587	191955	11586	180369

(ii) अनुदानः-

ग्राम पंचायत भदसाली हार के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट - क – 2** पर भी दिया गया हैl

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	582435	2591217	3173652	2811802	361850
2016-17	361850	2398087	2759937	1615290	1144647
2017-18	1144647	1903383	3048030	1158094	1889936

iii) आई० ए० वाई० :-

ग्राम पंचायत भदसाली हार के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 3** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	5889	37500	318	43707	30000	13707
2016-17	13707	65000	517	79224	7500	71724
2017-18	71724	88500	1702	161926	153500	8426

iv) आई० डब्लयू० एम० पी० - V:-

ग्राम पंचायत भदसाली हार के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के आई० डब्लयू० एम० पी० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 4** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	**आरम्भिक**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**

	शेष					
2015-16	24600	2365553	3461	2393614	2389026	4588
2016-17	4588	445000	2054	451642	447505	4137
2017-18	4137	2000	526	6663	3070	3593

v) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत भदसाली हार के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 5** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	0	92502	0	92502	92502	0
2016-17	0	861730	0	861730	861730	0
2017-18	0	1166985	0	1166985	1166985	0

अन्त शेष का विवरण:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2018 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है l

क्रम सं०	**निधि का नाम**	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष**	**बैंक में जमा शेष राशि**	**अन्तर**
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048032802	2070305	2062409	602 (हस्तगत रोकड़)
		के० सी० सी० सी० बी० ऊना	20013057997		7294	
2	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० सी० बी० हरोली	20048033180	8426	8426	
3	आई० डब्लयू० एम० पी० – V	पी.एन.बी. हरोली	6810000100014924	3593	3593	
4	मनरेगा	पी.एन.बी. सलोह	1727000104024360	0	0	
			योग	**2082324**	**2081722**	**602**

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था I परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन

नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है I लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक हैI लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है I अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ग) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना:-

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेन देन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में भी आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है परन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष का ब्यौरा नहीं दिया गया है I अतः रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए l

(ड.) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग –अलग चार रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है I अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर चार रोकड़ बहियों का रख रखाव करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार एक ही रोकड़ बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए I

(छ) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार करते हुए आय तथा व्यय को दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगीI इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सका I अतः बर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाएI

5 पंचायत राजस्व ₹0.55 लाख वसूली हेतु शेषः-

(i) सचिव ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-201 8 तक पंचायत राजस्व की ₹54680 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** पर भी दिया गया हैl

(क) गृहकरः-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	15040	15040	30080	5240	24840
2016-17	24840	15040	39880	240	39640
2017-18	39640	15040	54680	0	54680

उपरोक्त उल्लेखित कम वसूली ₹54680 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनांक 23-08-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भदसाली के ध्यानार्थ लाया गया I लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर के रूप में ₹54680 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था l पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया l अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

6 अनुदान `₹18.90 लाख का उपयोग न करनाः-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट- क – 2** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹1889936 उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा l अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए l

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.45 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं अर्थात निविदाएँ आमंत्रित करना आदि प्रावधित हैं l व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट - ग** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹545063 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है l अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 उचित बिलों के बिना ₹4.03 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट- घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹402836 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल साधारण कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया है। अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹ 402836 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिकर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

9 ₹14.24 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना: –

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-ड.** पर दिए गए विवरणानुसार ₹1424100 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 निर्माण कार्य Rehabilitation cum renovation of existing farm pond Tohliwala ward no 1 का कार्य निम्न गुणवत्ता का करवाना: –

जाँच के दौरान पाया गया कि आई० डब्लयू० एम० पी० शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदसाली हार को "**Rehabilitation cum renovation of existing farm pond Tohliwala ward no 1"** हेतु 341000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या – 9206 पेज संख्या

36 से 38 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में providing and laying cement concrete in 1:6:12 व 1:5:10 की मात्रा क्रमशः 26.46 घन मीटर व 111.13 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 347 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 200बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 147 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया प्रतीत होता है I उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 223 दिनांक 23-08-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भदसाली के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रति उतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I

11 पत्थरों की खरीद में ₹1.72 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान :-

जाँच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही आई० डब्लयू० एम० पी० –V से अवधि 11-04-15 से 2-09-15 के दौरान श्री गुरबचन सिंह ठेकेदार से 957 घनमीटर पत्थर 1200 रु० प्रति घन मीटर की दर से क्रय करने पर ₹1148400 का भुगतान किया गया था I लेकिन उक्त ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार 15% (Voids) की कटौती नहीं की गई थीI फलस्वरूप उक्त ठेकेदार को पत्थरों की आपूर्ति करने पर 15% (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹ 172260(1148400 x 15%) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था I उक्त अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना 224 दिनांक 23-08-18 द्वारा ही सचिव ग्राम पंचायत भदसाली हार के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः 957 घन मीटर पत्थरों को क्रय करने पर 15% (Voids) की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व पत्थरों को क्रय करने पर 15% (Voids) की कटौती न करने के कारण किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹172260 की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाएI

12 प्राप्त अनुदानो के लिए रसीदें जारी न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप – 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक हैI परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रोकड़ बही में विभिन्न संस्थाओं / विभागों से अनुदान ₹1179373 की प्राप्ति दर्शाई गई है, लेकिन उक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित रसीदें जारी नहीं की गई है I

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	विभाग/संस्था का नाम	राशि	उद्देश्य
1	20-08-15	7	बी० डी० ओ० हरोली	70000	उल्लेखित नहीं
2	31-08-15	8	उल्लेखित नहीं	14638	खाता कार्यालय व्यय
3	11-09-15	14	बी० डी० ओ० हरोली	60000	MP Lad.
4	4-11-15	24	बी० डी० ओ० हरोली	300000	WMJSY
5	26-11-15	26	उल्लेखित नहीं	4050	खाता जलरक्षक
6	5-12-15	34	डी० पी० ओ० ऊना	5500	वेतन चौकीदार
7	5-12-15	35	डी० पी० ओ० ऊना	20100	मानदेय पंचायत पदाधिकारी
8	23-06-16	75	डी० पी० ओ० ऊना	15000	कार्यलय व्यय
9	27-01-17	115	डी० पी० ओ० ऊना	512798	चौदहवाँ वित्तायोग
10	6-02-17	117	उल्लेखित नहीं	6150	यात्रा भत्ता
11	15-02-17	118	डी० पी० ओ० ऊना	27750	मानदेय पंचायत पदाधिकारी
12	31-03-17	129	बी० डी० ओ० हरोली	1500	खाता जलरक्षक
13	21-06-17	141	डी० पी० ओ० ऊना	7358	चौदहवाँ वित्तायोग
14	21-06-17	141	डी० पी० ओ० ऊना	134529	चौदहवाँ वित्तायोग
			योग	**₹1179373**	

अतः उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रसीदें जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 प्राप्त आय 408843 को रोकड़ बही में न दर्शाना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त ₹408843 को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है :-

क्रम संख्या	दिनांक	रसीद संख्या	जिससे प्राप्त की गई है/ विवरण	राशि
1	17-03-16	481684	बी० डी० ओ० हरोली	70000
2	17-03-16	481685	उल्लेखित नहीं	14638
3	17-03-16	481686	बी० डी० ओ० हरोली	300000
4	17-03-16	481687	जलरक्षक	4050
5	17-03-16	481688	उल्लेखित नहीं	55
6	17-03-16	481689	खाता मानदेय पंचायत पदाधिकारी	20100

	योग	**408843**

अतः उक्त रसीदों को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रसीदों को अविलम्ब रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

14 प्राप्त ₹510 को रोकड़ बही में कम जमा करना:-

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ बही में दर्ज करके ₹230 का दुरूपयोग किया गया है I

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	रसीद संख्या	प्राप्त की गई राशि	रोकड़ बही में दर्ज की गई राशि	कम दर्ज की गई राशि
1	4-06-15	56	481479	500	400	100
2	8-12-15	36	481609 से 481612	210	180	30
3	16-2-16	49	481677	200	100	100
			योग	**910**	**680**	**230**

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग की गई ₹230 की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

(ख) जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करके ₹280 का दुरूपयोग किया गया है I

क्रम संख्या	दिनांक	रसीद संख्या	प्राप्त की गई राशि	विवरण
1	16-12-15	481663	240	चूहड़ा सिंह (गृहकर)
2	9-02-17	483037	40	कश्मीर सिंह (नीलामी)
		योग	**280**	

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग की गई ₹280 की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

15 बैंक द्वारा क्रेडिट ₹0.93 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹92932.75 का क्रेडिट दिया गया है I लेकिन उक्त क्रेडिट को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया है I

क्रम संख्या	दिनांक	खाता संख्या	क्रेडिट दी गई राशि	विवरण
1	16-07-15	20048032802	85000	MP Lads
2	11-08-15	20048032802	5397.50	Assistant Engineer
3	30-08-16	20013057997	2471.25	By BC CTI Bank
4	31-08-16	20013057997	64	ब्याज
		योग	**₹92932.75**	

यदपि उक्त क्रडिट को वितीय स्थिति में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना एक गम्भीर वितीय अनियमितता है I जिसका औचित्य

स्पष्ट किया जाए व उपरोक्त उल्लेखित राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाएI

16 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच – एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाइ को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में क्रय रेत, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया हैI जो कि निर्माण कार्य के नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

17 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गई हैl अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर कर की कटोती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर आय कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाएl

18 आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगाI परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गयाI इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाएI

19 नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया थाI जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था I नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा हैI इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित हैI अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जाएI

20 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगीl

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिवl

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया थाl जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है l अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाएl

21 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सकेl सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थीl

(i) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्धित वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्धित क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – ण के उप नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यो को सक्षम अधिकारी से कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

23 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण
अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था I इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है I इस प्रकार सचिव द्वारा

निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

24 रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में रखे I परन्तु ग्राम पंचायत भदसाली हार द्वारा रसीदों को स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है I अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

27 निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 42/2018 खण्ड–1–7999–8002 दिनांक 29.11.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत भदसाली हार, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881